युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग जनपद कानपुर नगर द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाएँ

(1) पंचायत युवा कीड़ा एवं खेल अभियानः–

(क) युवा कार्यक्रम एवं मत्रांलय भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत पंचायत स्तर पर आधारभूत खेल अवसंरचना निर्मित कर और उपकरण उपलब्ध करा कर विकास खण्ड और जनपद स्तर पर वार्षिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहित करके खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के अवसर सुलभ कराया जाना है। इस योजना के जनपद कानपुर नगर की समस्त ग्राम पंचायतों एवं ब्लाक पंचायतों को आगामी आठ वर्षो में चरणबद्ध रूप से आच्छादित किया जाना है। इस योजना में ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत स्तर पर बुनियादी खेल अवस्थापना उपकरण तथा ब्लाक व जिला स्तर पर खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए अवसर उपलब्ध कराकर उनमें खेलकूद को प्रोत्साहन व सम्बर्द्धन से उत्पन्न प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर राज्य राष्ट्रीय, तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराना उद्देश्य है। इस योजना में भारत सरकार द्वारा धन दिया जाता है। ग्राम स्तर पर अवसरचना विकास में प्रदेश सरकार का 25 प्रतिशत योगदान है।

इसके अतिरिक्त चयनित ग्राम पंचायत में प्रतिदिन खेलकूद का अभ्यास कराने के लिए कीड़ा श्री का चयन किया जाता है। चयन का आधार खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षण भूतपूर्व सैनिक अथवा खेल में रूचि रखने वाले युवकों को जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। जिस 500/– रूपये प्रति माह मानदेय दिया जायेगा। ब्लाक स्तर पर चयनित कीड़ा श्री को रू0 1000/– मानदेय दिया जायेगा।

(ख) योजना के अन्तर्गत चयनित खेल विधाऐंः–

वर्ष 2008–09 व वर्ष 2009–10 में 10 खेलों का चयन जनपद कानपुर में किया गया है। जो इस प्रकार है, एथलेटिक्स, बालीबाल, कबड्डी, हॉकी, फुटबाल, कुश्ती, भारतोलन, जिम्नास्टिक, टेबुल टेनिस, तीरंदाजी, एवं अन्य स्थानीय खेल भी कराये जायेगे। इस खेलों में सभी आयु वर्ग के पुरूष/महिला जो खेलों में रूचि रखते है भाग ले सकते है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 से लागू की गयी है।

(2) खुली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताः–

प्रदेश सरकार के सहयोग से खुली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताऐं विकास खण्ड स्तर से जनपद, मण्डल राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। सिसमे विकास खण्ड स्तर पर प्रथम स्थान वाले प्रतियोगी मण्डल स्तर पर तथा मण्डल स्तर पर प्रथम स्थान वाले प्रतियोगी राज्य स्तर पर भाग लेते हैं राज्य स्तर पर प्रथम स्थान वाले प्रतियोगी को स्वर्ण रजत व कास्य पदक से सम्मनित किया जाता है।

(3) 18 वर्षीय बालक/बालिकाओं का चयन प्रतियोगिताः–

विभाग द्वारा विकास खण्ड स्तर से जनपद, मण्डल, राज्य व राष्ट्रीय तक 18 वर्ष से कम के बालक/बालिकाओं की प्रतियोगिताऐं आयोजित की जाती है जिन्हे स्वर्ण रजत व कास्य पदक से सम्मानित किया जाता है। इस प्रतियोगिता को पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान के अन्तर्गत किया जाता है।

(4) महिला खेलकूद प्रतियोगिता :–

विकास खण्ड स्तर पर महिला खुली खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इससे उच्च स्तर की प्रतियोगिताऐं खेल विभाग के द्वारा सम्पन्न करायी जाती है।

(5) युवक/महिला मंगल दलों का गठन :–

ग्राम पंचायत स्तर पर कम से कम 10–10 युवाओं व महिलाओं को संगठित कर युवक/महिला मंगल दलों का गठन किया जाता है। जिसमें ग्राम के युवकों/महिलाओं द्वारा विकास, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा आदि कार्य सम्पादित किये जाते हे। विभाग द्वारा अच्छे कार्य करने वाले कुछ युवक/महिला मंगल दलों को रूपये 2000/– की प्रोतसाहन धनराशि पंचायतों के माध्यम से प्रदान की जाती है। जिससे खेलकूद एवं अन्य आवश्यक सामाग्री क्रय करके दलों के लाग प्रतिदिन ग्राम में अभ्यास करते है।

(6) प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों का चयन व प्रशिक्षण :–

प्रान्तीय रक्षक दल विभाग का गठन वर्ष 1948 में किया गया था जिसमें ग्राम पंचायत स्तर विकास खण्ड स्तर तक अवैतनिक स्वयं सेवक होते है। इनमें ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवको ंकी टोलियाँ होती है। ग्राम पंचायत स्तर पर एक टोली नायक एक दलपति तथा 10 स्वयं सेवक होते हे। न्यय पंचायत स्तर पर हल्का सरदार व विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक कमान्डर नियुक्ति किये जाते है। सभी स्वयं सेवकों को 22 दिन का सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 वर्ष बाद सक्रिय स्वयं सेवकों को 15 दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण दिया जाता है जिन्हे वर्दी, भोजन व एक बार विकास खण्ड से जनपद स्तर तक आने व जाने का मार्ग व्यय दिया जाता है। आकस्मिक अवसरों जैसे निर्वाचन, मेला, बाढ़ आदि के समय इन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाता है। और उन्हें शासन द्वारा निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। अन्य

विभागों द्वारा सुरक्षा ड्यूटी करने हेतु मांगे जाने पर दैनिक भत्ता अथवा संविदा के आधार पर विभाग द्वारा प्रशिक्षित स्वयं सेवक उपलब्ध करायें जाते है।

(7) युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर एवं सास्कृतिक कार्यक्रमः–

विभाग द्वारा युवक/महिलाओं को समाज को नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जो समाज में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियों, मद्यपान, धूम्रपान, जुआ अशिक्षा आदि के विरूद्ध समाज का नेतृत्व कर सके। महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है। कि व अपने अधिकार जान व दहेज जैसे दानव व महिला अशिक्षा व अंध विश्वास के विरूद्ध आवाज उठाने व पुरूषों के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर समाज सुधार के लिए आगें आये। ग्राम में कलाओं को निखारने के लिए संस्कृतिक कार्य करने का आयोजन किया जाता है। जिसमें महिला/पुरूष दोनों ही लोकगीत, लोकसंगीत, लोक नृत्य, वादन, गायननृत्य आदि विधाओं में प्रदर्शन करते है। अच्छे कलाकारों की प्रतियोगिता विकास खण्ड स्तर में कराई जाती है। और उन्हे पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छे कलाकरों का जनपद स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाता है। जिन कलाकारों का चयन जनपद स्तर पर किया जाता है। उन्हे प्रदेश स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी कला का प्रर्दशन करने का मौका दिया जाता है। चयनित कलाकारों को जनपद स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाता है।

(8) जन जागरूकता कार्यक्रम :–

विभाग द्वारा समाज में फैली कुरीतियों अन्ध विश्वास, अशिक्षा गन्दगी के विरूद्ध सूक्ष्म नाटिका प्रहसन प्रगति पोस्टर आदि के द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाता है। जिससे बच्चे, युवा, महिला, पुरूष प्रेरणा ले सके कि समाज में फैली इन तमाम बुराइयों से कैसे बचा जा सकें।

अन्य विभागयी योजनाएँ

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा निम्न कार्य भी किये जाते है।

1. निःशुल्क 3 एकड़ भूमि प्राप्त होने पर ग्रामीण स्टेडियम निर्माण हेतु कार्यवाही।
2. युवाओं एवं किशोरो के विकास के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के प्रस्तावों का परीक्षण कर जिलाधिकारी के माध्यम से भेजना।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रादेशिक विकास दल
अधिकारी, कानपुर नगर